Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
****

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bagh Road,
New Delhi – 110003.
Dated: 30th November, 2022

To

The Regional Officer,
Integrated Regional Office,
MoEF&CC, Bhopal

Subject: Diversion of 1305.142 ha (instead of 1248.821 ha) forest land for the construction of Maa Ratangarh Multipurpose Project in favour of Executive Engineer, Dabra under Datia and Gwalior Districts of Madhya Pradesh State (Online No. FP/MP/IRRIG/40397/2019) – regarding.

Madam/Sir,

I am directed to refer to Government of Madhya Pradesh's letter No. F-3/50/2019/10-11/6/3729 dated 11.11.2021 on the above mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, and to request that Integrated Regional Office, Bhopal of this Ministry shall carryout the inspection of the forest land proposed for diversion, sites identified for compensatory afforestation (CA) and submit a detailed site inspection report (SIR) to this Ministry for further necessary action.

In addition, it is informed that the State Government has proposed compensatory afforestation on Ravine lands. Keeping in view the ravine areas, a committee was constituted by the State Govt to see the suitability and appropriateness of Ravine areas for the purpose of Compensatory Afforestation. The copy of the report of said committee is enclosed. Further, the State has submitted that a model plantation of 50 hectares has been raised on similar ravine land in Bhind Forest Division. The said model plantation may be inspected and a detailed report along with recommendations of IRO regarding suitability of the proposed CA areas shall be submitted.

Yours sincerely

Sd/-
(Suneet Bhardwaj)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Principal Secretary (Forests), Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
2. The PCCF (HoFF), Department of Forest, Government of Madhya Pradesh, Bhopal;
3. The Nodal Officer (FCA), Department of Forest, Government of Madhya Pradesh, Bhopal;
4. User Agency;
5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF & CC, New Delhi for uploading on PARIVESH

portal.

Digitally Signed by Suneet
Bhardwaj
Date: 01-12-2022 11:43:03
Reason: Approved

608103/2022/FC

-174-

निरीक्षण प्रतिवेदन

मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा मां रतनगढ़ परियोजना में प्रभावित 1248 है0 वन भूमि के विरूद्ध समतुल्य गैर वन भूमि भिण्ड जिले में उपलब्ध कराई गई है। यह गैर वनभूमि बीहड़ की है। गैर वनभूमि बीहड़ की होने के कारण क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये उपयुक्त है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित नहीं है।

दिनांक 27.09.2021 को प्रमुख सचिव वन के अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें यह निर्णय लिया गया कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का दल मुरैना वनमण्डल में जाकर बीहड़ में किये गये क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पूर्व में मुरैना वनमण्डल में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए बीहड़ के स्वरूप के गैर वनभूमि में (प्राप्त जानकारी अनुसार) वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य किया गया है। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश के आदेश कमांक/भू–प्रबंध/सिंचाई/44 दिनांक 05.10.2021 से निम्नानुसार दल का गठन किया गया :–

1. श्री अमिताभ अग्निहोत्री, संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर
2. श्री एस0पी0 शर्मा, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश भोपाल
3. श्री शशि मलिक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

उपरोक्त आदेश के पालन में निर्देशानुसार निरीक्षण दल के द्वारा दिनांक 08.10.2021 को मुरैना वनमण्डल के अन्तर्गत कक्ष कमांक पी. 333 एवं 334 में कमशः 65 है0 एवं 22 है0 क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य बीहड़ क्षेत्रों में रोपण की उपयुक्तता के संबंध में अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

निरीक्षण हेतु की गई कार्यवाही :–

निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई :–

1. मुरैना वनमण्डल कार्यालय में पहुंचकर निरीक्षण हेतु प्रस्तावित कक्ष कमांक पी. 333 तथा पी. 334 में वृक्षारोपण से संबंधित समस्त अभिलेख जैसे परियोजना रिपोर्ट, वृक्षारोपण जर्नल तथा पूर्व में किये गये मूल्यांकन रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। इसके उपरांत मौके पर जाकर दोनों वृक्षारोपणों का निरीक्षण किया गया।

   वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार अवगत कराई गई :–

   वैकल्पिक वृक्षारोपण खैरा डिगवार रकवा 65 है0 वन परिक्षेत्र सबलगढ़ वनमण्डल मुरैना

1.	परिक्षेत्र का नाम	–	सबलगढ़
2.	परिक्षेत्र सहायक	–	रामपहाड़ी
3.	बीट	–	पचेर कमांक 01
4.	समिति	–	डिगवार
5.	खसरा कमांक	–	10
6.	कक्ष कमांक	–	पी. 333
7.	क्षेत्रफल	–	65 है0
8.	वृक्षारोपण का प्रकार	–	वैकल्पिक वृक्षारोपण
9.	वृक्षारोपण वर्ष	–	2011–12
10.	स्थल तैयारी का विवरण		

सरल कमांक	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा है0 में	व्यय राशि
1	सर्वेक्षण सीमांकन	65.00	1219.00
2	चेकडेम	56500 घ.मी.	2157376.00
3	कन्टूर ट्रन्च	4850 र.मी.	340798.00
4	सी.पी.टी.	2450 र.मी.	137816.00
5	सी.सी.टी.	2000 र.मी.	12500.00
6	क्षेत्र सफाई एवं अन्य		29011.00
	योग		**2678720.00**

11. रोपित पौधे :–

प्रजाति	संख्या
शीशम	2700
सिरस	2000
करंज	1500
जलेबी	3000
नीम	800
बांस	3000
सुबबूल	2000
सागौन	5000
योग	**20000**

वृक्षारोपण की सीमा से लगी कृषकों की मेड़ों पर जो मेड बंधान कार्य विभाग द्वारा आस्थामूलक मद से कराया गया था उन पर भी कृषकों द्वारा स्वयं बांस, खमैर, आंवला प्रजाति के पौधों का रोपण कराया गया है।

वैकल्पिक वृक्षारोपण खेरा डिगवार रकवा 22 हैक्टेयर

1. परिक्षेत्र का नाम : सबलगढ़
2. परिक्षेत्र सहायक वृत्त : रामपहाड़ी
3. बीट का नाम : पचेर नं. 01
4. समिति का नाम : डिगवार
5. खसरा कमांक : 10
6. कक्ष कमांक : पी 334
7. क्षेत्रफल : 22 हैक्टेयर
8. वृक्षारोपण का प्रकार : वैकल्पिक वृक्षारोपण
9. वृक्षारोपण वर्ष : 2011–12
10. स्थल तैयारी वर्ष : 2010–11

स.कं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा है. में	व्यय राशि
1	सर्वेक्षण सीमांकन	22.00 है.	412.00
2	चेकडेम	10846.172 घ.मी.	333516.00
3	कन्टूर ट्रन्च	8100 र.मी.	50624.00
4	रिंग बन्डिग	3855 र.मी.	28797.00
5	क्षेत्र सफाई एवं अन्य		13454.00
	योग		**426803.00**

11. रोपित पौधे :–

प्रजाति	संख्या
शीशम	2300
सिरस	1000
करंज	500
ज.जलेबी	2000
नीम	200
बांस	1000
सुबबूल	1000
सागौन	2000
योग	**10000**

वृक्षारोपण की सीमा से लगी कृषकों की मेंडो पर जो मेड़ बंधान कार्य विभाग द्वारा आस्थामूलक मद से कराया गया था उस पर कृषकों द्वारा स्वयं बांस, खमैर, आंवला प्रजाति के पौधों का रोपण कार्य कराया गया है।

यह दोनों रोपण जुलाई 2011 में किये गये हैं।

प्रचलित कार्य आयोजना मुरैना में बीहड़ी क्षेत्र के संबंध में निम्नानुसार उल्लेख है :–

वनमण्डल मुरैना के अंतर्गत चम्बल, कुंआरी, सोन तथा सांख नदियां हैं जिनके दोनों किनारों पर मिट्टी के कटाव के कारण बीहड़ क्षेत्र निर्मित हो गये हैं। प्रचलित कार्य आयोजना में बीहड़ क्षेत्रों को मृदा एवं जल संरक्षण प्रबंधन वृत्त के अन्तर्गत उपचार हेतु सम्मिलित किया गया है । बीहड़ी क्षेत्रों में निम्न संनिधि युक्त मिश्रित प्रजाति के वन हैं, जिनकी स्थल गुणवत्ता श्रेणी पंचम ब है। इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से छेंकुर, घोंट, हींस, बिरबिरा, हिंगोट, करील, गुग्गल, पीलू कांकेर, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, बबूल तथा बिखरे रूप में खैर है। बीहड़ी क्षेत्रों की भू–समाकृति ऊबड़–खाबड़, गहरी खाई युक्त तथा तीव्र ढाल वाली है। भू–क्षरण अत्यधिक है तथा मृदा जलोढ़ है। अत्यधिक कटाव के कारण पुनरूत्पादन की स्थिति बहुत ही खराब है। तीव्र ढाल पर जल प्रवाह तथा हवा के कारण बीज बह जाते हैं। मृदा की जल धारण क्षमता कम होने के कारण मृदा में नमी अपर्याप्त है। कार्य आयोजना में बीहड़ी क्षेत्रों के संरक्षण हेतु विभिन्न उपचार पद्धति भी दर्शाई गई हैं।

अभिलेखों के अध्ययन उपरांत वनमण्डलाधिकारी मुरैना तथा उनके संबंधित कर्मचारियों के साथ वृक्षारोपण क्षेत्रों का क्षेत्र निरीक्षण किया गया। वृक्षारोपण क्षेत्र के निरीक्षण के साथ ही बीहड़ के अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया गया।

<u>निरीक्षण के निष्कर्ष</u> :–

1. यह वृक्षारोपण क्षेत्र बीहड़ में स्थित है जहां भू–क्षरण अत्यधिक सक्रिय हैं, तथा भू–क्षरण निर्बाध गति से होता रहता है।

2. वृक्षारोपण के साथ–साथ क्षेत्र में नाला बंधान का कार्य मिट्टी के बड़े चैकडैम द्वारा किया गया है। चैक डैम इस प्रकार बनाये गये हैं कि ऊपरी चौड़ाई 4 से 5 मीटर है। यह संरचनाएं भू–क्षरण को फिलहाल बाधित करने में सफल हैं, परन्तु उनका नियमित रखरखाव करना आवश्यक है।
3. क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का रोपण उपयुक्त ढलानों पर किया गया है। इनमें से कुछ प्रजातियां, विशेष तौर पर काला सिरस, नीम, करंज अपेक्षाकृत अधिक सफल हैं जो, मध्य साईज के वृक्षों का आकार ले चुकी हैं।
4. क्षेत्र में विभिन्न बीजों का छिड़काव कर वनीकरण का प्रयास किया गया है, जिसमें शाकीय एवं झाड़ी प्रजातियां भलीभांति स्थापित होकर भू–क्षरण की तीव्रता को रोकने में सहायक सिद्ध हो रही है। इन प्रजातियो में prosopis juliflora सुगमता से स्थापित हो रहा है। क्षेत्र में शमी (prosopis Cineraria) की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

इस प्रकार वर्ष 2011 में किया गया यह प्रयास सफलतापूर्वक त्रि–स्तरीय वनीकरण के उद्देश्य को प्राप्त कर सका है, जिसे भविष्य में भी दोहराया जा सकता है।

निरीक्षण के निष्कर्ष एवं सुझाव :–

1. बीहड़ स्वयं में एक विशेष प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित एक अद्भुत प्राकृतिक देन है। बिना किसी वैज्ञानिकी अध्ययन के उपरोक्त पारिस्थितिकी तंत्र में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। बीहड़ों में उनके संरक्षण के कार्य किये जाना प्रस्तावित हैं, न कि उनके स्वरूप को बदलना।
2. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु यदि अन्य समतल भूमि उपलब्ध न हो तो बीहड़ क्षेत्रों में वनीकरण का कार्य किया जा सकता है।
3. वनीकरण कार्य करने से पूर्व क्षेत्र का एक सुनियोजित क्षेत्र उपचार प्लान तैयार किया जाये, जिसमें Systematic एवं व्यवस्थित रूप से नाला बंधान का कार्य किया जाये। यह नाला बंधान कार्य जलागम (Watershed) क्षेत्र के उपचार की आवश्यकता Ridge to Valley के आधार पर किया जाये। बीहड़ों के संरक्षण का कार्य प्राथमिकता पर किया जाना आवश्यक है अन्यथा रोपण सफल होना कठिन है।
4. तत्पश्चात क्षेत्र में बीज छिड़काव के माध्यम से शाकीय एवं झाड़ी प्रजाति के वृक्षों की स्थापना कार्य किया जाये।
5. तदोपरांत रोपण योग्य ढलानों पर उपयुक्त प्रजातियों का रोपण कार्य किया जाये। बीहड़ में प्रति हैक्टेयर 200 से 300 पौधे ही रोपित किये जा सकते हैं।
6. बांस का रोपण की अपेक्षित सफलता क्षेत्र में नहीं पाई गई है।
7. वृक्षारोपण क्षेत्रों को बंद कूप के समान संरक्षित किया जाये, तथा यह कार्य ग्राम वन समिति के सहयोग से किया जाये।
8. सीधी रेखाओं के माध्यम से कक्ष की सीमाओं का निर्धारण एक दुष्कर एवं अत्यंत श्रमसाध्य कार्य है। अतः कक्ष की सीमाएं Ridge Lines पर हों, तो उचित होगा।
9. इस प्रकार बीहड़ क्षेत्र में वनीकरण कार्य भू–क्षरण रोकने, जैव विविधता को संरक्षित करने तथा REDD + के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जाना उपयुक्त है।

6.10.21	9/X/2021	9/X/2021
(शशि मलिक)	(एस.पी. शर्मा)	(अमिताभ अग्निहोत्री)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	संचालक
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर	कक्ष–उत्पादन	राज्य वन अनुसंधान संस्थान
	सतपुड़ा भवन भोपाल	जबलपुर

"रोपित पौधों की प्रजातिवार संख्या"
2. आंवला... 500
5. बांस... 2000
6. नीम... 2000
8. महुआ... 330
10. अन्य... 370
योग... 10000
वन मण्डल मुरैना"

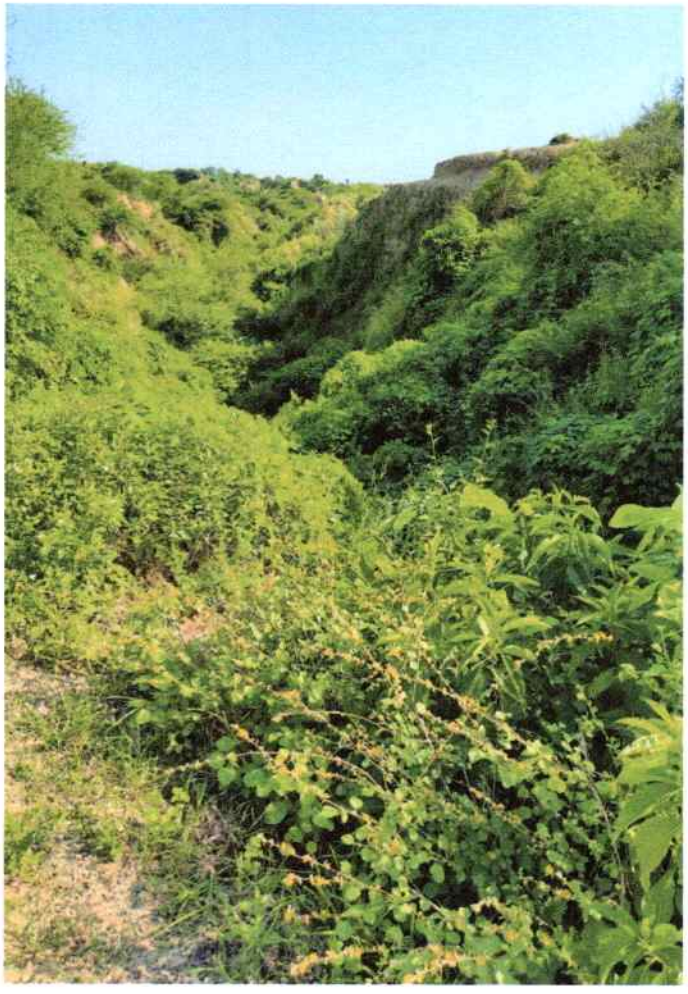

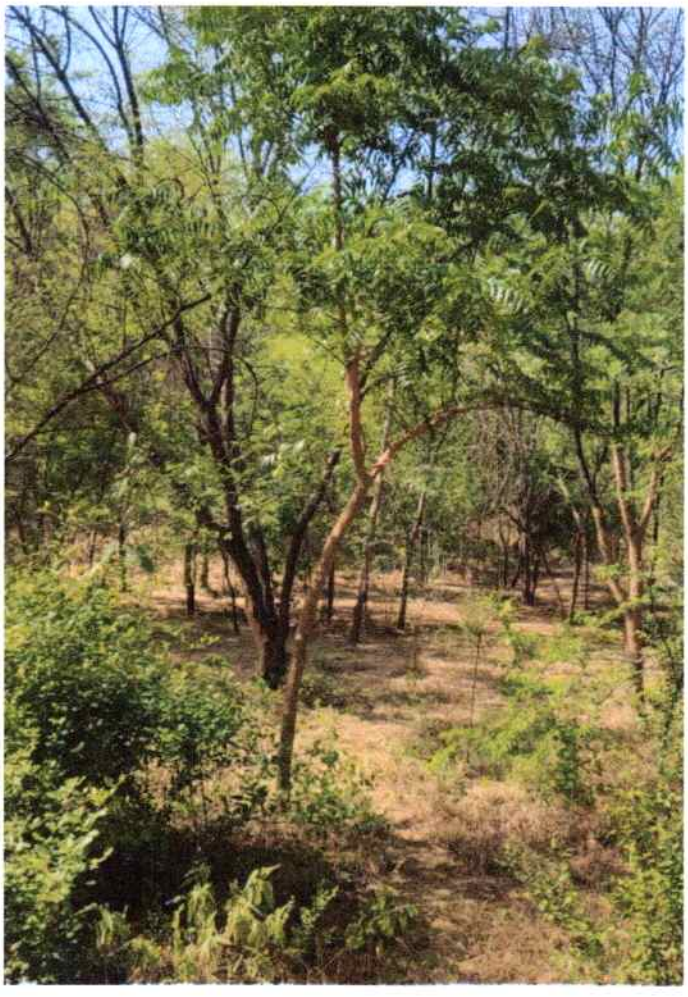

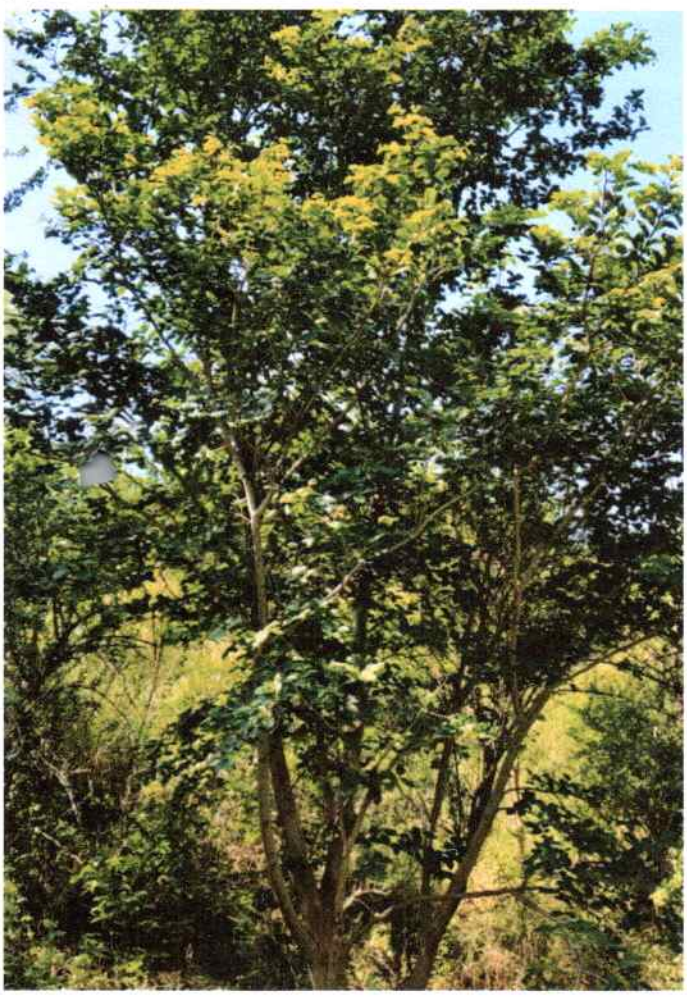

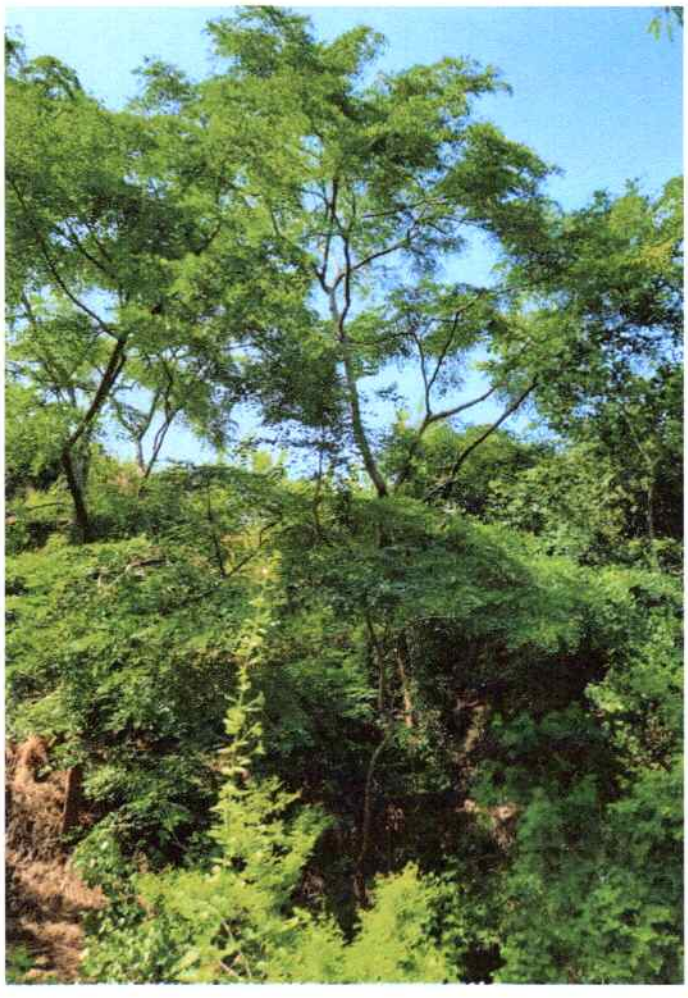

-180-